## शिकायतों ने खोली मुनाफाखोरी की पोल आखिरकार जाग गया नापतौल विभाग

▶ 5 से 15 रुपये अधिक वसूली करते मिले दुकानदार

नवभारत न्यूज

**रतलाम/आलोट।** नापतौल विभाग उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद हरकत में आया और आलोट-रतलाम क्षेत्र में एमआरपी से अधिक कीमत पर कोल्ड ड्रिंक एवं अन्य पैकेज्ड वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए।

नियंत्रक नापतौल मध्यप्रदेश ब्रजेश सक्सेना और रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देश पर सहायक नियंत्रक एवं निरीक्षक भारत भूषण ने शिकायतों की जांच के लिए विशेष दल गठित किया। विभाग को शिकायत मिली थी कि कई दुकानदार शीतल पेय पदार्थों को पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर बेच रहे हैं। शिकायतों की पुष्टि के लिए आलोट और आसपास के बाजारों में औचक निरीक्षण किया गया।

जांच के दौरान वैष्णवी सांची मिल्क पार्लर, जोधपुर स्वीट्स एवं नमकीन, सांवरिया किराना स्टोर्स, आशीष बेकरी, श्री बालाजी स्वीट्स नमकीन कॉर्नर, सांईराम इंटरप्राइजेस और ओम सांईराम इंडस्ट्रीज सहित कई प्रतिष्ठानों पर कोल्ड ड्रिंक एवं अन्य पैकेज्ड वस्तुएं 5 से 15 रुपये तक अधिक कीमत पर बेची जाती पाई गईं।

जांच में सामने आया कि उपभोक्ताओं से घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही थी। इसे विधिक मापविज्ञान (पैकेज वस्तु) नियमों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित दुकानदारों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कार्रवाई के दौरान मुंडलाकला फंटा स्थित दो प्रतिष्ठानों पर मौजूद विक्रेता अपना नाम-पता बताए बिना मौके से भाग निकला। इसके बावजूद विभाग ने उपलब्ध दुकान नाम और पते के आधार पर कानूनी कार्रवाई की।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक और पैकेज्ड पेय पदार्थों की मांग बढ़ी हुई है। ऐसे में उपभोक्ताओं का सवाल है कि यदि शिकायतें पहले से मिल रही थीं तो विभाग ने कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगाया। फिलहाल विभाग की इस कार्रवाई ने बाजार में एमआरपी से अधिक वसूली करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा दिया है।

## एफआईआर से नहीं झुकेगा बाप का कुनबा, अब जिला पंचायत पर नजर

▶ बिना अनुमति प्रदर्शन पर विधायक सहित 4 पर प्रकरण दर्ज

नव भारत न्यूज

**रतलाम/सैलाना।** कलेक्ट्रेट घेराव और उसके बाद दर्ज हुई एफआईआर के बाद भारत आदिवासी पार्टी (बाप) ने राजनीतिक पलटवार करते हुए आगामी पंचायत चुनावों में बड़ा प्रदर्शन करने का दावा किया है। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने साफ कहा कि एफआईआर से न तो वे डरेंगे और न ही पार्टी के कार्यकर्ता पीछे हटेंगे। उनका कहना है कि चुनावी मैदान में जनता के दम पर जवाब दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बाप पार्टी के बैनर तले हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा समेत चार नामजद व्यक्तियों और अन्य समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नेताओ पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के कलेक्ट्रेट के बाहर धरना-प्रदर्शन कर सड़क जाम की और प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन किया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कोर्ट चौराहे पर बैरिकेड्स हटाए गए, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी। सड़क जाम होने से आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

**इन पर दर्ज हुआ मामला:** स्टेशन रोड थाना पुलिस ने राजस्व निरीक्षक तरुण रघुवंशी की रिपोर्ट पर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा, जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार, दिनेश माल सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

### दर्ज एफआईआर झूठी और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित : विधायक

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक डोडियार ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और आगामी चुनावी रणनीति से घबराकर भाजपा उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनकी पार्टी किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। डोडियार ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी आगामी पंचायती राज चुनाव पूरी मजबूती और संगठनात्मक ताकत के साथ लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के साथ ही सैलाना, बाजना, रतलाम ग्रामीण एवं पिपलोदा जनपदों में जनपद अध्यक्ष पदों पर भी अपना परचम लहराएगी। इसके अलावा अधिक से अधिक सरपंच पदों पर विजय हासिल कर क्षेत्र की राजनीति में नया इतिहास रचा जाएगा।उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही आदिवासियों, किसानों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा। विधायक डोडियार ने दर्ज एफआईआर को पूरी तरह झूठा और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में पुलिस और प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से जनता की समस्याओं को उठाने पर इस प्रकार की कार्रवाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी और न्यायालय के माध्यम से एफआईआर को निरस्त कराने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि ज्ञापन देने की जानकारी प्रशासन पहले ही ईमेल से भेजी जा चुकी थी। हम शांतिपूर्ण रूप से समस्याएं कलेक्टर को बताने पहुंचे थे।

## गौ रक्षकों को उम्रकैद के विरोध में सौंपा ज्ञापन

**जावरा।** मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में न्यायपालिका द्वारा 14 गौ रक्षकों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में गौ रक्षा दल मध्य प्रदेश ने देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मांग की है कि सजा पाए सभी 14 गौ रक्षकों को मानवीय और संवैधानिक आधार पर जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए। गौ रक्षा दल ने शासन-प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इन गौ रक्षकों को संवैधानिक राहत नहीं मिलती है, तो सभी हिंदू संगठनों को साथ मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संभावित आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति की समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस अवसर पर विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

### सावधान! खाली चेक पर दस्तखत करना पड़ा भारी, फाइनेंसर पहुंचा सलाखों के पीछे

## शिक्षिका के खाली चेक का गलत इस्तेमाल कर पिता के खाते में ट्रांसफर की लाखों की राशि

▶ अमानत में खयानत के दोषी रविराज भंवर को 3 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

नव भारत न्यूज

**जावरा।** लोन दिलाने के नाम पर एक महिला शिक्षिका के साथ धोखाधड़ी करने और उनके फर्जी हस्ताक्षरित चेकों के जरिए लाखों रुपये हड़पने वाले आरोपी रविराज भंवर को कोर्ट ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर जिला जज (जावरा) परमानंद चौहान ने आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत दोषी पाते हुए सजा के साथ-साथ 1,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस मामले के विचारण (ट्रायल) के दौरान सह-आरोपी रहे उसके पिता भेरूलाल भंवर की मृत्यु हो चुकी है।

अपर लोक अभियोजक समरथ साहू ने बताया, महावीर कॉलोनी, जावरा की रहने वाली और पेशे से शिक्षिका फरियादिया सल्तनत जहां ने 1 जनवरी 2022 को पुलिस थाना शहर जावरा में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उन्हें मकान बनाने के लिए लोन की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने फाइनेंसर रविराज भंवर (निवासी अलकापुरी, रतलाम) से संपर्क किया। रविराज ने उन्हें बजाज फाइनेंस लिमिटेड से लोन दिलाने का भरोसा दिया और उनके एसबीआई शुगर मिल शाखा के खाते के 5 खाली चेक हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिए।

**धोखे से पास कराया लोन और हड़प ली राशि:** आरोपी रविराज ने पहले 4.15 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराने की बात कही, लेकिन बजाज फाइनेंस की प्रक्रिया में देरी होने के कारण फरियादिया सल्तनत जहां ने खुद ए-यू स्मॉल फाइनेंस बैंक से 14 लाख रुपये का लोन ले लिया। इसके बाद उन्होंने रविराज को बजाज फाइनेंस की फाइल बंद करने और अपने दस्तावेज वापस करने को कहा। आरोपी ने फाइल वापस लेने का झूठ बोला, लेकिन पीछे से लोन प्रोसेस चालू रखी और बिना बताए 3,85,806 का लोन पास करा लिया। 10 जून 2019 को शिक्षिका के खाते में यह राशि आते ही आरोपी ने उनके दिए गए दो चेकों का इस्तेमाल कर क्रमश: 1,20,000 और 3,85,806 (कुल लोन राशि) निकाल ली और उसे अपने पिता भेरूलाल भंवर के एसबीआई रतलाम शाखा के खाते में ट्रांसफर कर दिया।

### इस तरह खुली पोल

जब शिक्षिका के खाते से बजाज फाइनेंस की 10,652 की किस्त कटनी शुरू हुई, तब उन्हें इस बड़ी धोखाधड़ी का पता चला। संपर्क करने पर आरोपी रविराज ने अपना गुनाह कबूला और 1 मार्च 2021 को पैसे लौटाने का एक लिखित अनुबंध (एग्रीमेंट) भी किया, जिसके एवज में उसने तीन चेक दिए। हालांकि, इसके बाद भी उसने राशि वापस नहीं की।

### अदालती कार्रवाई

पुलिस थाना शहर जावरा ने आरोपी रविराज और उसके पिता के खिलाफ धारा 420, 409, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सशक्त पैरवी अपर लोक अभियोजक समरथ साहू द्वारा की गई, जिसके बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी को जेल की सजा सुनाई।

### एक नजर में

## वर्षाकालीन आपदा प्रबंधन हेतु जिला स्तरीय बैठक कल

**रतलाम।** अतिवर्षा एवं बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने हेतु पूर्व तैयारियों के संबंध में 27 जून को दोपहर 12 बजे जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में वर्षाकालीन आपदा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण एवं राहत व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। पूर्व बैठक में कलेक्टर द्वारा दिए निर्देशानुसार जिला स्तरीय बाढ़ एवं आपदा नियंत्रण कक्ष भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष संचालित किया गया। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 07412-270416 निर्धारित किया गया है। आवश्यक सूचनाएं तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन अकरेश मालवीय के मोबाइल नंबर 9200640994 पर भी दी जा सकेंगी। कलेक्टर निर्देशानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन प्रात: 8:30 बजे वर्षा एवं क्षति की जानकारी संकलित कर संबंधित कार्यालयों को प्रेषित की जाएगी तथा ष्ठड्ढक्र पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी। अतिवृष्टि की स्थिति में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष को तत्काल सूचना दी जाएगी।

## ऑन रोड सेफ्टी समिति की बैठक कल

**रतलाम।** सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की फिजिकल बैठक 27 जून को प्रात: 11 बजे कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

## योग प्रशिक्षिकाओं ने कराया योगासन, प्राणायाम

**रतलाम।** अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जन शिक्षण संस्थान, अलकापुरी रतलाम में योग शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योग शिक्षिका मीना भावसार एवं मेघा दवे, अध्यक्ष प्रतिनिधि कल्पना राजपुरोहित तथा संस्थान के निदेशक रघुवीर सिंह सिसोदिया की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान की अनुदेशिकाओं एवं प्रशिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहा। योग शिविर के दौरान प्रशिक्षिकाओं ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया तथा नियमित योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की विस्तृत जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति को स्वस्थ, संतुलित एवं तनावमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ। योग शिविर में संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षार्थी तथा गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अंत में संस्थान की अनुदेशिका कीर्ति बक्शी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

## चयन होने पर किया सम्मान

**रतलाम।** प्रांतीय राजपुरोहित महिला जागृति मंच द्वारा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयनित होने पर कुशाग्र राजपुरोहित पुत्र मुकेश पुरोहित का स्वागत कर सम्मान किया । कुशाग्र की इस गौरवमयी उपलब्धि पर संगठन की सदस्याओं ने उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रांतीय राजपुरोहित महिला जागृति मंच की अध्यक्ष कल्पना राजपुरोहित, सचिव प्रभा राजपुरोहित, यमुना राजपुरोहित, कुसुम राजपुरोहित, रेखा राजपुरोहित, किरण राजपुरोहित, मंजु राजपुरोहित, पूर्णिमा राजपुरोहित एवं ऋतु राजपुरोहित उपस्थित रहीं।

## बाउंड ओवर की शर्त तोड़ी, आदतन बदमाश को भेजा जेल

▶ 6 माह के लिए बाउंड ओवर होने के बावजूद फिर किया अपराध

नव भारत न्यूज

**रतलाम।** जिले के ताल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाउंड ओवर की शर्तों का उल्लंघन करने वाले आदतन अपराधी जुवानसिंह पिता रामचंद्र डांगी (48) निवासी खेताखेड़ी को गिरफ्तार कर उप जेल जावरा भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर अपराध दर्ज रहे हैं और वह पुलिस की निगरानी में था।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर जिले में आदतन अपराधियों और गुंडा तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन और एसडीओपी पल्लवी गौर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार जुवानसिंह डांगी को 11 फरवरी 2026 से 11 अगस्त 2026 तक छह माह की अवधि के लिए धारा 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत फाइनल बाउंड ओवर किया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने 5 मई 2026 को पुन: आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया। इस मामले में ताल थाने पर अपराध क्रमांक 238/2026 धारा 296(बी) और 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बाउंड ओवर की शर्तों के उल्लंघन पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 141(1)(बी) के तहत इस्तगासा तैयार कर 7 मई 2026 को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ताल में पेश किया था। सुनवाई के बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने 19 जून 2026 को आरोपी का जेल वारंट जारी किया। इसके बाद पुलिस ने 24 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर उप जेल जावरा दाखिल कर दिया। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2004 में मारपीट और धमकी, वर्ष 2006 में घर में घुसकर मारपीट तथा धमकी और वर्ष 2011 में गंभीर अपराध सहित कई मामले दर्ज हो चुके हैं। वर्ष 2026 में भी उसके खिलाफ नया प्रकरण दर्ज हुआ था। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक स्वराज डाबी, उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार मालवीय, उप निरीक्षक के.के. सिंह सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

## युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत

**रतलाम।** शहर के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक द्वारा किसी अज्ञात जहरीले पदार्थ का सेवन किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद कॉलोनी निवासी मनीष मालवीय (18) पिता मांगीलाल मालवीय की तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मृतक के पिता कैलाश मालवीय ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है।

## हादसे में घायल महिला की मौत

**रतलाम।** बिलपांक थाना क्षेत्र में हाईवे पर बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के करीब दो दिन बाद महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार 6 जून शाम करीब 4.30 बजे होटल अभिनंदन के पास ग्राम सरवड़ और रत्तागिरी के बीच हाईवे मार्ग पर बाइक से गिरने के कारण राधाबाई पति रामचंद्र चौधरी (50) निवासी निंबोदा पार, थाना देपालपुर, जिला इंदौर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। महिला का उपचार चल रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर 8 जून की रात करीब 9.10 बजे उनकी मृत्यु हो गई।

## बीमारी से जूझ रही महिला की मौत

**रतलाम।** जिले के बाजना थाना क्षेत्र में एक महिला की बीमारी के चलते उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ग्राम रूपारेल निवासी रत्नी पति रावजी खराड़ी (38) को बीमारी के चलते उपचार के लिए शासकीय अस्पताल बाजना में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान 24 जून को उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मृतका के पति रावजी पिता गलिया खराड़ी (39) निवासी ग्राम रूपारेल ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर बाजना थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी। प्रारंभिक जानकारी में महिला की मृत्यु बीमारी के कारण होना सामने आया है। हालांकि पुलिस नियमानुसार मामले की जांच कर रही है।

## युवा संगम मेला : 138 का चयन और 741 हितग्राहियों को मिला लाभ

**रतलाम।** शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में युवा संगम अंतर्गत संयुक्त रूप से रोजगार मेला, स्वरोजगार मेला, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एवं मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना का आयोजन हुआ। मेले में कुल 159 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 13 कंपनियों द्वारा निर्धारित मापदंड एवं साक्षात्कार के उपरांत 138 प्रतिभागियों का प्राथमिक चयन किया गया। साथ ही 1 कंपनी द्वारा 3 प्रतिभागियों का

अप्रेंटिसशिप हेतु चयन किया गया। चयनित प्रतिभागियों को संस्था के प्राचार्य प्रशांत मईड़ा द्वारा ऑफर लेटर प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, रतलाम द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत कुल 741 हितग्राहियों को 459.68 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। श्रम विभाग द्वारा 5 श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड प्रदान किए गए तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रशिक्षण अधीक्षक एच.के. बाथम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने एवं मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में आजीविका मिशन, जिला रोजगार कार्यालय एवं संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।

## सेफ क्लिक 2 .0 अभियान के तहत साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बैठक आयोजित

नव भारत न्यूज

**सैलाना।** मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'सेफ क्लिक 2.0 - सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित जीवन' साइबर सुरक्षा अभियान 2026 के अंतर्गत बुधवार देर शाम पुलिस थाना परिसर में जन-जागरूकता बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, ओटीपी धोखाधड़ी, सोशल मीडिया ठगी तथा डिजिटल लेन-देन में बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी।

थाना प्रभारी पिंकी आकाश ने बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। साथ ही संदिग्ध कॉल, मैसेज एवं लिंक से सतर्क रहने तथा साइबर अपराध होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण करना है। बैठक में थाना स्टाफ, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों ने सहभागिता की।

## पुजारी ही निकला मास्टरमाइंड, दो साथियों समेत 3 गिरफ्तार

▶ मंदिर से चोरी हुआ सोने का हार दिल्ली में बेचा

▶ पुलिस ने सिद्धचक्र और 94 हजार नकद किए बरामद

नव भारत न्यूज

**जावरा।** थाना क्षेत्र के ग्राम सुखेड़ा स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर में बीती 21 जून को दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में खुलासा कर दिया है। आस्था के केंद्र में सेंध लगाने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि मंदिर का पुजारी ही निकला। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पुजारी समेत कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी गया चांदी का सिद्धचक्र और सोने का हार बेचने से मिले 94 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। एसडीओपी संदीप मालवीय ने गुरुवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि चोरी की

इस गंभीर घटना के बाद एसपी अमित कुमार और एएसपी विवेक लाल के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने जब तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से तफ्तीश शुरू की, तो कड़ियाँ मंदिर के पुजारी विशाल बैरागी से जा जुड़ीं।

**मंदसौर के रहने वाले हैं आरोपी, दिल्ली में बेचा माल:** पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान विशाल बैरागी (पुजारी) निवासी बुढ़ा, जिला मंदसौर, सुनील चौहान निवासी गर्रावद, जिला मंदसौर, दीपक टेलर निवासी पहेड़ा, जिला मंदसौर के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि चांदी का सिद्ध चक्र पुजारी विशाल ने अपने पास ही छुपा कर रखा था, जिसे पुलिस ने उसके कब्जे से जब्त कर लिया है। वहीं, भगवान की प्रतिमा पर लगा सोने का हार आरोपी दीपक और सुनील ने दिल्ली ले जाकर बेच दिया था। पुलिस ने हार बेचने से मिले 94 हजार रुपये नकद बरामद कर लिए हैं।

**कार्रवाई की वर्तमान स्थिति:** पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से कोर्ट के आदेश पर मुख्य आरोपी पुजारी विशाल और दीपक को जेल भेज दिया गया है। वहीं, तीसरे आरोपी सुनील को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। पुलिस टीम सुनील को दिल्ली लेकर रवाना होगी, जहाँ हार खरीदने वाले सर्राफा व्यापारी और स्थान की तस्दीक की जाएगी। इस त्वरित और सफल कार्रवाई में पिपलोदा थाना प्रभारी रमेश कोली, सुखेड़ा चौकी प्रभारी राजू मखोड़ सहित पूरी पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा।

### एक नजर में

### अरनियापीथा कृषि उपज मंडी में 5000 बोरी तिल्ली की बंपर आवक

## नीलामी प्लेटफॉर्म पर अवैध कब्जा और उड़ती धूल से किसान बेहाल, मंडी प्रशासन नदारद

नवभारत न्यूज

**जावरा।** प्रसिद्ध शहीद नरेन्द्रसिंह चन्द्रावत मंडी इन दिनों अपनी बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी का शिकार है। मंडी में 5000 बोरी तिल्ली की बंपर आवक हुई है, लेकिन मंडी प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह से शून्य साबित हो रही हैं। अपनी गाडी कमाई लेकर पहुँचने वाले किसानों को यहाँ केवल अव्यवस्थाओं और परेशानी का सामना करना पड रहा है। मंडी परिसर में जिन शेड और प्लेटफॉर्मों का निर्माण किसानों की उपज (तिल्ली) की सुचारू रूप से नीलामी के लिए किया गया था, उनकी स्थिति दयनीय है। इन

प्लेटफॉर्मों पर किसानों की उपज की जगह अन्य लोगों ने अपना माल डंप कर रखा है। प्लेटफॉर्म घिरे होने के कारण दूर-दराज से आए किसानों को अपनी फसल नीचे और असुरक्षित स्थानों पर रखने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन इस अतिक्रमण पर पूरी तरह से मूकदर्शक बना हुआ है।

### 50 करोड़ के राजस्व वाली मंडी का जर्जर बुनियादी ढांचा

यह स्थिति उस मंडी की है जो हर साल लगभग 50 करोड़ रुपये का भारी-भरकम टैक्स (राजस्व) कमा कर देती है। इतने बड़े बजट और आय के बावजूद बुनियादी ढांचे का हाल इतना खस्ता है कि प्लेटफॉर्म के समीप बिछाई गई सीसी (सीमेंट कंक्रीट) की सडकें पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। जगह-जगह गड्ढे और उड़ती धूल मंडी प्रशासन के विकास दावों की पोल खोल रही है। सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है और 50 करोड़ का टैक्स देने वाली इस मंडी में अन्नदाता केवल अपनी बारी और सुविधाओं का इंतजार करने को विवश है। किसानों ने अब उच्च अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है।

**धूल का गुबार और खुलेआम चलती छन्ना मशीनें:** अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि मंडी प्रांगण में खुलेआम मिट्टी छानने की मशीनें चलाई जा रही हैं। इन मशीनों के चलने से उठने वाली धूल ने पूरे मंडी परिसर को अपनी चपेट में ले लिया है। इस धूल-धक्कड के कारण किसानों, व्यापारियों और मजदूरों का मंडी में खड़ा रहना और सांस लेना तक मुहाल हो गया है।